न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– संतोष करोल

वाद सं. 71/2018

उनवान

1 गोपाल पुत्र नारायण मीणा, जाति मीणा, निवासी कस्बा, चोमू ए, तहसील चोमू, जिला जयपुर हाल निवासी हनुमान जी का रास्ता, कुटीयावाली ढाणी, वार्ड नम्बर 4, भोपावास, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. मक्खन पुत्र नारायण मीणा, निवासी कस्बा चोमू ए, तहसील चोमू, जिला जयपुर हाल निवासी हनुमानजी का रास्ता, कुटियावाली ढाणी, भोपावास, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
3. उपपंजियक चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
4. ओ.बी.सी. बैंक जरिये प्रबन्धक महादय, बैंक ओ.बी.सी. शाखा चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 05.07.2019

व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2014 को उक्त वाद में अन्तिम डिक्री जारी होने पर प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 08.05.2014 पेश की गई हैं। जो अपील अपीलांट दिनांक 12.11.2014 आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.05.2014 निरस्त किया जाकर तहसीलदार चोमू से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान टिनेन्सी नियम 1955 तथा भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार भूमि की समान कीमत, अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए तथा पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश प्राप्त हुये । तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 232/2014 मे पारित दिनांक 12.11.2014 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रस्तुत की गई जो खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 को बहाल रखा गया।

पत्रावली न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त होने के बाद दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 12.11.2014 की पालना में तहसीलदार चोमू से दिनांक 26.06.2018 को कुरेजात प्राप्त हुये। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस दिनांक 09.01.2019 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ), जवाब प्रार्थना पत्र तथा बहस उभयपक्षकारान का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(घ) का खारिज किया गया।

दिनांक 26.06.2018 को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सीपीसी आपत्ति कुरेजात दिनांक 15.03.2019 को पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
चोमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

किया हैं। वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश नियम 151 सीपीसी पर बहस हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बहस नही करके पुनः प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(घ) के आदेश दिनांक 13.03.2019 के विरूद्ध निगरानी का समय दिये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किये जाने पर दिनांक 18.03.2019 को निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। प्रा. पत्र फैसल उपरान्त वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 151 सी.पी.सी. आपत्ति कुरेजात का जवाब पेश नही करके सीधा बहस हेतु बार–बार इस्तदुआ करने पर न्यायालय द्वारा बहस सुनी गई।

दिनांक 19.03.2019 को प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर को प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली अन्यत्र न्यायलय हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी। श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय जयपुर के द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 22.03.2019 को बिन्दुवार टिप्पणी चाही गई। प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.03.2019 को बिन्दुवार टिप्पणी श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय जयपुर को भिजवायी गई। न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली अन्यत्र न्यायलय हस्तान्तरण किये जाने बाबत खारिज किया गया।

वादी द्वारा न्यायालय में दिनांक 19.06.2019 को प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनाई का पेश किया गया जो स्वीकार किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 04.07.2019 को प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत 151 सीपीसी वाद की अन्तिम कार्यवाही रोकने का तथा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी विवादग्रस्त भूमि का तकासमा का निर्णय तनकीयता कायम कर, करने का प्रस्तुत किया गया जो खारिज किये गयें।

दिनांक 05.07.2019 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी वाद में आप आपत्ति कुरेजात पर ही बहस सुनी जावें तथा अन्तिम बहस हेतु समय प्रदान किया जावें। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर बहस वकील पक्षकारान की सुनी गई।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे आपत्ति कुरेजात की बहस एवं अन्तिम बहस सुना जाना न्यायोचित हैं तथा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का खारीज किया जाता हैं। वकील पक्षकारान बहस हेतु सहमत हुये अन्तिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3135 रकबा 1.57 हैक्ट. भूमि वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती भूमि हैं। जिसमें में से 0.58 हैक्ट. भूमि कुरेजात प्रस्ताव में वादी को दी गई है एवं उतनी ही भूमि 0.58 हैक्ट. प्रतिवादी को दी गई है तथा 0.41 हैक्ट. भूमि हाईटेंशन लाईन से प्रभावित भूमि वादी एवं प्रतिवादी दोनो की शामलाती भूमि हैं। जिसको दोनों के ही शामलाती रास्ते के रूप में रखा हैं। जो कि रास्ते का बंटवारा नहीं हो सकता हैं तथा तहसीलदार तहसील चोमू से दिनांक 26.06.2018 को प्राप्त कुरेजात भू–राजस्व अधिनियम की धारा 18 से 24 के अनुसार ही प्राप्त हुये हैं और न कोई प्रतिवादी को रकबा कम मिला है और किस्म भी एक ही हैं। प्रतिवादी को समान किस्म की भूमि मिली हैं एवं कब्जे की भूमि को वादी को दे दी हों, ऐसा भी प्रतिवादी नें नही बताया हैं। क्योंकि कब्जे अनुसार ही कुरेजात आये हैं एवं रास्ते को छोडकर ही दोनों का शामलाती रास्ता हाईटेंशन लाईन से प्रभावित भूमि को ध्यान में रखते हुये नक्शे कुरेजात आये हैं। माननीय न्यायालय को प्राप्त कुरेजात कही भी नियमों से विरूद्ध नही हैं। वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया हैं कि तहसीलदार तहसील चोमू से प्राप्त कुरेजात मिलीभगत कर मंगवाये गये हैं। उक्त कुरेजात निरस्त करके हाईटेंशन लाईन को मध्यनजर रखते हुये हाईटेंशन लाइन से प्रभावित भूमि को बराबर–बराबर दी जाकर प्रत्येक हिस्से अनुसार तकासमा किया जाकर पुनः कुरेजात मंगवाया जावें। उक्त कुरेजात बिना विधिक प्रक्रिया एवं बिना आदेश के प्राप्त है जो अवैधानिक हैं। जिसे पुनः मंगवाया जावें। तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनुसार हाईटेंशन लाईन से प्रभावित भूमि दोनों पक्षकारों को दी जावें।

अधिकारी
जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रा0 पत्र पर उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई। कुरेजात रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2018 के विरूद्ध आज दिनांक तक कोई अपील पेश नही हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण के निर्णय में देरी करने की गरज से प्रत्येक तारीख पेशी नयां प्रार्थना पत्र पेश करते आ रहे हैं। कुरेजात रिपोर्ट खातेदारान के दर्ज हिस्से अनुसार कब्जेकाश्त को व रास्ते को एवं हाइटेंशन लाईन से प्रभावित भूमि कुरेजात प्रस्ताव में वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती रास्ते की भूमि के रूप में दर्शायी गई हैं। जिसका उपयोग रास्ते के रूप में किये जाने को को ध्यान में रखते हुये तथा भूमि की समान कीमत, अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये है जो नियमानुसार सही है।

अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 26.06.2018 के अनुसार स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती हैः—

यह की विवादित भूमि के हाल आराजी खसरा नम्बर 3135 रकबा 1.57 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कस्बा चोमू, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. गोपाल पुत्र नारायण जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख.न. 3135/1 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.नं. 3135/4 रकबा 0.48 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.58 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में तोतिया रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. मक्खन पुत्र नारायण जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी. शाखा चोमू को ख.न. 3135/3 रकबा 0.58 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.58 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. मक्खन गोपाल पुत्र नारायण जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी शाखा चोमू को ख.नं. 3135/2 रकबा 0.41 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.41 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, जो वादी व प्रतिवादी की शामलाती भूमि रहेगी। जिसका उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में किया जावें, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

संतोष करोल
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास संतोष करोल आरएएस

1 गोपाल पुत्र नारायण मीणा, जाति मीणा, निवासी कस्बा, चोमू ए, तहसील चोमू, जिला जयपुर हाल निवासी हनुमान जी का रास्ता, कुटीयावाली ढाणी, वार्ड नम्बर 4, भोपावास, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. मक्खन पुत्र नारायण मीणा, निवासी कस्बा चोमू ए, तहसील चोमू, जिला जयपुर हाल निवासी हनुमानजी का रास्ता, कुटियावाली ढाणी, भोपावास, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
3. उपपंजियक चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
4. ओ.बी.सी. बैंक जरिये प्रबन्धक महादय, बैंक ओ.बी.सी. शाखा चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 71/2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू संतोष करोल आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. गोपाल पुत्र नारायण जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख.न. 3135/1 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.नं. 3135/4 रकबा 0.48 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.58 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में तोतिया रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. मक्खन पुत्र नारायण जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी. शाखा चोमू को ख.न. 3135/3 रकबा 0.58 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.58 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. मक्खन गोपाल पुत्र नारायण जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी शाखा चोमू को ख.नं. 3135/2 रकबा 0.41 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.41 हैक्ट., जो वादी व प्रतिवादी की शामलाती भूमि रहेगी। जिसका उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में किया जावें, दी जाती हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.07.2019 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत .....
ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner